

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:ई/चि.अ./एन-766/2024/ दिनांक :

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
जैसलमेर।

विषय: डॉ0 नसीरुद्दीन, चिकित्सा अधिकारी, के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक 4674-78 दिनांक 06.05.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा डॉ0 नसीरुद्दीन, चिकित्सा अधिकारी दिनांक 01.03.2020 से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया है।

अतः डॉ0 नसीरुद्दीन, चिकित्सा अधिकारी दिनांक 01.03.2020 से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के नवीनतम पत्रादि अनुसार सीसीए नियमों के अन्तर्गत आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र, परिशिष्ट अ,ब,स,द व अभिलेख सूची एक-एक प्रति में अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव आवश्यक रूप से पत्र प्राप्ति के 03 दिवस में निदेशालय को अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही चिकित्सक द्वारा किस मेडिकल कॉलेज से पीजी की है के सम्बन्ध में भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 04/06/2024

क्रमांक:ई/चि.अ./एन-766/2024/231

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर।
3. प्रभारी राजहैल्थ पोर्टल अनुभाग, मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल वास्ते।
5. रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
7701247



Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash
Sharma
Designation : Additional Director
Date: 2024.06.03 15:11:37 IST
Reason: Approved